

**मध्यप्रदेश शासन**  
**तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग**  
**कौशल विकास संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

**शासकीय आईटीआई में सत्र 2021 में ऑनलाईन प्रवेश**

मध्यप्रदेश स्थित शासकीय आईटीआई में संचालित एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर से अथवा एमपी ऑनलाईन के अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपी ऑनलाईन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश विवरणिका कौशल विकास संचालनालय की वेबसाइट [www.mpskills.gov.in](http://www.mpskills.gov.in) एवं [www.dsd.mp.gov.in](http://www.dsd.mp.gov.in) तथा [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु समय चक्र निम्नानुसार है :-

स.क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	निर्धारित तिथियाँ
<b>प्रथम राउंड -</b>		
1.	आवेदकों द्वारा एम.पी.ऑनलाईनपोर्टल में आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार/इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार।	<b>22.07.2021 to 08.08.2021</b>
2.	आवेदकों द्वारा एम.पी.ऑनलाईनपोर्टल में इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार।	<b>26.07.2021 to 08.08.2021</b>
3.	प्रथम चयन सूची जारी करना। (एम.पी.ऑनलाईन द्वारा एसएमएस द्वारा आवेदकों को सूचित करना।)	14.08.2021
4.	प्रथम चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश	16.08.2021 to 18.08.2021
5.	डीएसटी के तहत प्रवेश-मेरिट सूची के आवेदकों का साक्षात्कार, चयन, चयन सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा प्रवेश की कार्यवाही करना।	17.08.2021 to 18.08.2021

**नोट:** विभाग के आदेशानुसार उपरोक्त दी गयी समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है।



## औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश की पद्धति

1. शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश नहीं होगा। पूर्व वर्षों जैसे सत्र अगस्त 2021 में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसलिए मध्यप्रदेश के मूल निवासी के साथ-साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी रजिस्ट्रेशन के पात्र होंगे।
2. एम.पी. ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन तथा त्रुटि सुधार एवं इच्छित संस्थाओं में व्यवसायों की प्राथमिकता के क्रम का विकल्प (चॉईस फिलिंग) तथा चॉईस फिलिंग में त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल पर व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस सत्र में 100 विकल्पों को देने की सुविधा दी जा रही है। आवेदकों को समझाईश दी जाती है कि वे अधिक से अधिक व्यवसायों/संस्थाओं के विकल्प भरें ताकि श्रेणी विशेष के आवेदकों की उपलब्धता न होने पर सीटों को अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने की स्थिति में प्रवेश की संभावनायें बनी रहें। पंजीयन के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाईल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
3. आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों को ही सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा। रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
4. अभ्यर्थी पंजीयन हेतु अपने स्वयं के अथवा अन्य किसी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं अथवा एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर पंजीयन की कार्यवाही कर सकते हैं।
5. अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 85/- देना होगा, जिसमें से रुपये 35/-पंजीयन के समय तथा रुपये 50/-चॉईस (विकल्प) लॉक (LOCK) करते समय देने होंगे। अभ्यर्थी यदि पंजीयन त्रुटि सुधार अथवा प्राथमिकताओं के चयन में त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो पोर्टल शुल्क राशि रु. 15/- देना होगा। इसी प्रकार यदि आवेदक नवीन चॉईस फिलिंग करना चाहेंगे, तो उन्हें चॉईस के विकल्प देने के लिए पुनः राशि रु. 50/- देना होगा। उक्त राशि में रजिस्ट्रेशन फार्म का एक पेज तथा चॉईस फिलिंग के तीन पेज का प्रिन्टआउट सम्मिलित है, जो संबंधित कियोस्क द्वारा संबंधित आवेदक को दिया जाएगा। यदि कोई कियोस्क, इससे अधिक राशि की मांग करते हो, तो **0755 - 6720200** पर आवेदक द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकेगी।
6. अधिकृत कियोस्क में नगद भुगतान अथवा ऑनलाईन पेमेन्ट द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाईन भुगतान हेतु निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं :-
  1. इंटरनेट बैंकिंग
  2. ए.टी.एम. सह डेबिटकार्ड
  3. क्रेडिट कार्ड
7. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की विधि –
  - 7.1 उम्मीदवार को सर्वप्रथम एमपीऑनलाईन की वेबसाइट [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) को खोलना होगा। इस वेबसाइट पर “ITI Counselling” प्रदर्शित की गई है। उम्मीदवार को ITI Counselling पर क्लिक करना होगा। सिटीजन सर्विसेस का पेज खुलने पर आई. टी.आई काउंसलिंग लोगो दिखाई देगा उम्मीदवार को आई.टी.आई काउंसलिंग लोगो पर क्लिक करना होगा।

- 7.2 आई.टी.आई काउंसिलिंग लोगो पर क्लिक करने पर आई.टी.आई काउंसिलिंग का होम पेज खुलेगा। इस होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् एक पेज खुलेगा। उम्मीदवार को इस पेज पर दर्शाई गई समस्त आवश्यक जानकारियाँ भरना होगा।
- 7.3 आवेदक को अपना फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।
- 7.4 **"Save data" option** पर क्लिक करें।
- 7.5 **"Proceed to payment for registration"** पर क्लिक करें। इसके उपरांत निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
- 7.6 पंजीयन शुल्क भुगतान कर **"Print"** पर क्लिक कर रसीद प्राप्त करें।
- 7.7 अस्थाई पासवर्ड पंजीयन शुल्क भुगतान रसीद पर अंकित होगा।
- 7.8 अभ्यर्थी को अपना प्रथम पासवर्ड सुरक्षा की दृष्टि से बदलना चाहिए।
- 7.9 अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही कर ली गई है, इस बाबत जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।

## 8. इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना—

- 8.1 अभ्यर्थी व्यवसायों एवं शासकीय आईटीआई का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे।
- 8.2 अभ्यर्थी को आईटीआई तथा ट्रेड में प्रवेश के लिए 100 विकल्पों को पोर्टल पर अंकित करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उदाहरण स्वरूप किसी आवेदक के प्रथम 5 विकल्प निम्नानुसार हो सकते हैं –
  - विकल्प-1— शासकीय आईटीआई भोपाल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड।
  - विकल्प-2— शासकीय आईटीआई भोपाल में फिटर ट्रेड।
  - विकल्प-3— शासकीय आईटीआई होशंगाबाद में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड।
  - विकल्प-4— शासकीय आईटीआई होशंगाबाद में फिटर ट्रेड।
  - विकल्प-5— शासकीय आईटीआई भोपाल में मशीनिस्ट ट्रेड।

उक्त विकल्पों को भरने के लिए शासकीय आईटीआई का नाम तथा ट्रेड का नाम पॉपअप मैनु से उपलब्ध होगा। व्यवसाय की च्वाइस भरते समय पॉपअप मैनु में शैक्षणिक योग्यता भी प्रदर्शित होगी तथा सत्र अगस्त 2020 में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का कटऑफ प्रतिशत भी प्रदर्शित होगा। अतएव शासकीय आईटीआई एवं व्यवसाय की च्वाइस भरते समय अभ्यर्थी यह सावधानी रखे की वह प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं व्यवसायों का चयन करें, जिन व्यवसायों में वे शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक हों तथा संबंधित व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों।

- 8.3 प्राथमिकता क्रम के चयन हेतु [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) वेबसाइट ओपन करना होगा। ऐसा करने पर होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर **"ITI Counselling"** पर क्लिक करने पर खुले हुए पेज पर **"ITI Counseling"** पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् **"ITI Counseling"** का होम पेज खुलेगा, जिसमें **"Login For Choice Filling"** पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुले हुये पेज पर **"View Instructions"** नाम की लिंक पर क्लिक करना होगा एवं दिये गये दिशा निर्देशों को भलीभांति पढ़ना होगा। दिये गये दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेने के पश्चात् आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि निर्धारित स्थान पर अंकित करना होगा और **"Submit"** बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात् अभ्यर्थी से जब पासवर्ड पूछा जायेगा, तब पासवर्ड अंकित करना होगा। उसके बाद **"Login For Choice Filling"** बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद

च्वॉईस फिलिंग का पेज खुलेगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी को पासवर्ड अंकित करना होगा। यदि पूर्व में पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है, तो पासवर्ड में परिवर्तन कर नए पासवर्ड का चुनाव करना होगा, जिसमें कम से कम 06 अक्षर/अंक होना चाहिए। परिवर्तित पासवर्ड अंकित करने के पश्चात् "Login For Choice Filling" बटन पर क्लिक करना होगा। यदि पूर्व में अपना पासवर्ड परिवर्तित कर लिया था, तो वह परिवर्तित पासवर्ड भरकर ~ Login For Choice Filling बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् च्वाईस फिलिंग का पेज खुलेगा, उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा तथा इच्छित ट्रेड व आईटीआईवाईज प्राथमिकता के क्रम के आधार पर च्वाईस/विकल्प भरना होगा। च्वाईज भरने के बाद "Submit list of preference" पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात् जो पेज ओपन होगा उस पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गई च्वाईज प्रदर्शित होंगी, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए होंगे – "Save" एवं "Change your choice"। यदि अभ्यर्थी चुने हुए विकल्प से संतुष्ट हैं, तो "Save" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एवं अगर परिवर्तन चाहते हैं तो "Change your choice" पर क्लिक कर फिर से प्राथमिकता क्रम च्वाईस बदल सकते हैं। "Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के सुरक्षित विकल्प पुनः प्रदर्शित होंगे।

- 8.4 यदि "Save" की हुई च्वाईसेस में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो भुगतान करने के पूर्व "Log out from choice filling" पर क्लिक करना होगा एवं "choice filling" की प्रक्रिया पुनः करनी होगी। आपके द्वारा पूर्व में "Save" की हुई च्वाईसेज उसी क्रम में प्रदर्शित होंगी।
- 8.5 इच्छित प्राथमिकता क्रम को अंतिम रूप से चयन कर "Lock करने के लिये "Proceed to Payment to Lock your choice" पर क्लिक कर भुगतान करना होगा। बिना भुगतान करें आपकी च्वाईस लॉक नहीं होगी तथा सीट का आवंटन संभव नहीं होगा। "Lock" करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता क्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकता है। "Lock" करने के बाद प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन नहीं होगा।
- 8.6 अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही कर ली गई है, इस बाबत जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।

## 9. इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार–

यदि इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायो की प्राथमिकता क्रम का चयन में अंकित की गई जानकारी में कोई त्रुटि हो गई हो, तो इस जानकारी में सुधार किया जा सकता है। त्रुटि सुधार के लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रुपये 15/- पोर्टल शुल्क निर्धारित है।

## 10. चयन सूची जारी करना (एम.पी.ऑनलाईन द्वारा एसएमएस द्वारा आवेदकों को सूचित करना)–

प्रथम चयन सूची को एमपी ऑनलाईन तथा संचालनालय कौशल विकास के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। समस्त आवेदक निर्धारित समयचक्र के अनुसार पोर्टल को अवश्य देखें, ताकि उन्हें चयन सूची की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। समस्त आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर मैसेज को अवश्य देखें।

- 10.1 प्रवेश की कार्यवाही मेरिट अनुसार निर्धारित है। अतएव अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा जो प्राथमिकता के विकल्प दिये हैं यदि उनमें से अभ्यर्थी को प्रथम प्राथमिकता मेरिट के आधार पर प्राप्त होती है तो उसे प्रथम विकल्प आवंटित होगा। यदि प्रथम प्राथमिकता का विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो प्राथमिकता के क्रम में जो भी विकल्प मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा, आवंटित किया जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों में से जो व्यवसाय व शासकीय आईटीआई में उसके अनारक्षित मेरिट के आधार पर निर्धारित होगा, वह उच्चतर विकल्प उसकी मेरिट के आधार पर उपलब्ध होने पर आवंटित होगा।
- 10.2 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उच्चतर विकल्प निम्नानुसार आवंटन किया जावेगा :-
- (क) अनारक्षित मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले विकल्प तथा
- (ख) उसके आरक्षित प्रवर्ग की मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले विकल्प में से यदि (क) व (ख) समान हो तो (क) अनुसार सीट आवंटित की जावेगी।
- 10.3 अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर अनारक्षित मेरिट के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सीटों का आवंटन किया जावेगा। आवंटित विषय/संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में रहेगा। आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु [iti.mponline.gov.in](http://iti.mponline.gov.in) वेबसाइट ओपन करें खुले हुये पेज पर “ITI Counselling” पर क्लिक करने पर खुले हुए पेज पर “ITI Counseling” पर क्लिक करें। होम पेज ओपन होगा। इस पेज पर “Print Allotment letter” नाम की लिंक पर क्लिक करें एक पेज खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी को अपना रोल नम्बर/जन्मतिथि/काउंसिलिंग का प्रकार चुनना होगा तथा अपना पासवर्ड डालकर “Login To View Allotment letter” पर क्लिक करें एक पेज खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी, उसके द्वारा भरे गये विकल्प एवं आवंटित सीट प्रदर्शित होगी। यदि अभ्यर्थी उसके द्वारा भरी गई च्वाइसेस को देखना चाहता है तो “View College/subject preference” पर क्लिक करना होगा।
- 10.4 सीट आवंटन की जानकारी अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जायेगी।
- 10.5 अभ्यर्थी को शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क तथा वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट संपूर्ण मूल दस्तावेज की छायाप्रति के दो सेट एवं दो फोटोग्राफ लेकर संबंधित आईटीआई में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा :-
- जिन व्यवसायों में 10 वीं अर्हकारी है।
  - म.प्र.का मूल निवासी/स्थानीय/वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र।
  - स्थाई जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी (आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के लिये)
  - अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र।
  - विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र (आवेदक द्वारा दर्शाये गये ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक दक्षता का परीक्षण संस्था स्तर पर निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा तथा तदनुसार ही प्रवेश की पात्रता हेतु सत्यापन किया जाएगा)
  - अन्य संबंधित प्रमाण पत्र।

- 10.6 अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन की कार्यवाही संबंधित शासकीय आईटीआई, जहां अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई है, में ही की जायेगी। इस कार्य को करने के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित की जायेगी समयावधि की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं इन शासकीय आईटीआई में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी अपने अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका प्रवेश स्वमेय ही निरस्त हो जायेगा।
- 10.7 उम्मीदवार के सभी मूल अभिलेखों के सही पाये जाने एवं सत्यापन होने के उपरांत ही आईटीआई में प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पायी जाती है, तो आईटीआई द्वारा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी है।

11. अंतिम रूप से प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की संकलित सूची प्रदर्शित की जायेगी तथा इसके उपरांत प्रवेश की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी अर्थात् जो भी स्थान रिक्त रह जायेंगे वह अंततः रिक्त ही रहेंगे।

12. प्रवेश के उपरांत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का ऐसा डाटा जो मेरिट सूची को प्रभावित नहीं करता है जैसे प्रशिक्षणार्थी का नाम/माता पिता का नाम /पता आदि को सही प्रकार से सुधार कर पोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिये प्राचार्यों को लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड एम0पी0 ऑनलाईन द्वारा दिया जावेगा। प्राचार्य की यह जवाबदारी होगी कि वे प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा सुधार करें।

### 13. प्रवेश प्रक्रिया—

13.1 चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश – प्रथम चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जायेगा उनके प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार होगी—

13.1.1 ऐसा अभ्यर्थी जिसे उसका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है, यदि वह प्रवेश नहीं लेता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा वह आगे की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

13.1.2 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनका प्रथम विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है तथा दिये गये अन्य विकल्पों में से किसी विकल्प के अनुसार उन्हें संस्था एवं व्यवसाय आवंटित हुआ है वे प्रवेश के लिए निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं –

13.1.3 आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दें –

यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश ले लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए तो उस स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के साथ ही पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दिया जाएगा तथा पोर्टल पर प्रवेश की यथा स्थिति को प्राचार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय/तृतीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जायेगा तथा द्वितीय/तृतीय सूची में यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा भरे गये अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही कर सकता है –

- यदि वे अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार प्रवेश ले लेते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा प्रथम सूची के तहत लिया गया प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा तथा इस रिक्त सीट की गणना आगामी चयन सूची में सम्मिलित की जायेगी।

- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेड विकल्प पर प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उनका प्रथम सूची के तहत प्रवेश बरकरार माना जायेगा तथा अपग्रेडेड विकल्प की इस सीट को रिक्त मानते हुये रिक्त सीट की गणना आगामी चयन में सम्मिलित की जायेगी।

13.1.4 **आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प न दें** – यदि अभ्यर्थी उसे आवंटित विकल्प से संतुष्ट है तथा वह अपग्रेडेशन के लिए इच्छुक नहीं है तो वे प्रशिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र होने की स्थिति में संस्था द्वारा प्रवेश दिया जाएगा तथा पोर्टल पर प्रवेश की यथा स्थिति को प्राचार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। आगामी चयन सूचियों के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य नहीं किया जायेगा।

13.1.5 **आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश न लें**– यदि अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे आवंटित विकल्प अनुसार प्रवेश नहीं लेना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए तो उस स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं करना है किंतु पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करना आवश्यक होगा। द्वितीय एवं तृतीय सूची के लिए ऐसे आवेदकों का अपग्रेडेशन का विकल्प मान्य किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को उनके द्वारा भरे गये अपग्रेडेड विकल्प के अनुसार सीट आवंटित हो जाती है तो आवेदक, अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश ले सकता है किन्तु यदि तृतीय चयन सूची में भी आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया तो ऐसे आवेदक प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

## 13.2 प्रशिक्षण शुल्क जमा करना –

उक्त तीनों स्थितियों में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण शुल्क कियोस्क के माध्यम से भुगतान करना आवश्यक होगा। यदि प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो आवेदक की प्रवेश की पात्रता समाप्त हो जायेगी। आवेदकों को प्रवेश के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें प्रवेश लेना आवश्यक है।

## 14. संस्था स्तर पर प्रवेश–

- 14.1 **संस्थावार श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या को पोर्टल पर प्रदर्शित करना**– 03 चयन सूचियों को जारी करने के उपरांत संस्थावार श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या को पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 14.2 **राज्य के बाहर के आवेदकों का प्रवेश**– महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा शासकीय एवं प्रायवेट आईटीआई में प्रवेश के निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के परिपालन में राज्य के बाहर के आवेदकों के प्रवेश के लिए री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऐसे आवेदकों को अवसर दिए जायेंगे।
- 14.3 **री-रजिस्ट्रेशन** – पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि आवेदक त्रुटिवश अपनी श्रेणी/प्राप्तांक/विशेष श्रेणी/हॉरिजोन्टल केटीगेरी/जन्म तिथि/जिला आदि को गलत दर्शा देते हैं जिसके कारण उनका नाम चयन सूची में आ जाता है, किंतु जब वे प्रवेश के लिए संस्था में उपस्थित होते हैं, तो त्रुटि पता चलने पर उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपनी श्रेणी/प्राप्तांक/विशेष श्रेणी/हॉरिजोन्टल केटीगेरी/जन्म तिथि/जिला आदि से संबंधित फील्ड्स में गलत जानकारी भरी हो, वे भी इन त्रुटियों का सुधार कर सकेंगे तथा ऐसे आवेदक तृतीय चयन सूची के उपरांत रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हो सकेंगे। साथ ही ऐसे आवेदक जो कतिपय कारणों से पूर्व में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही नहीं कर पाये थे वे भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे तथा उपलब्ध सीटों के लिए संस्था एवं व्यवसाय का विकल्प भर सकेंगे।
- 14.4 **चतुर्थ चयन सूची**– नवीन रजिस्ट्रेशन तथा पूर्व के रजिस्ट्रेशन (ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है) को मिलाकर चतुर्थ चयन सूची जारी की जाएगी।
- 14.5 **पाँचवी चयन सूची**– चतुर्थ चयन सूची के ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है, की मैरिट सूची अनुसार पाँचवीं चयन सूची जारी की जाएगी।
- 14.6 **छठवीं चयन सूची**– चतुर्थ एवं पाँचवीं चयन सूची के उपरांत शेष अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, के साथ राज्य के बाहर के आवेदक भी सम्मिलित होंगे। इस चयन सूची में प्रथमतः आरक्षण अनुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा किंतु यदि किन्हीं सीटों के लिए संबंधित वर्ग के आवेदकों की उपलब्धता नहीं बचती है तो ऐसी सीटों को समानांतर रूप से परिवर्तित कर

आवंटन भी किया जाएगा। इसके उपरांत रिक्त सीटों पर राज्य के बाहर के आवेदकों का आवंटन किया जावेगा।

- 14.7 **ओपेन राउण्ड**— छठवीं चयन सूची के उपरांत समस्त सीटों का कंवर्जन किया जायेगा तथा संस्थावार, व्यवसायवार शेष सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची सहित मेरिट सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। निर्धारित तिथि को मेरिट सूची के आवेदकों को संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थित होना होगा। निर्धारित समय तक उपस्थित आवेदकों का पंजीकरण/उपस्थिति ली जवेगी तथा इनकी उपस्थिति प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उपस्थित आवेदकों की चयन सूची पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी तथा प्रवेश की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जाएगी।

**15. प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की प्रणाली—**

- 15.1 **रजिस्ट्रेशन**—प्रत्येक अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का फार्म शासकीय/प्राइवेट आईटीआई के लिए समान होगा।
- 15.2 **च्वाइस फिलिंग**— समस्त प्राइवेट आईटीआई में संस्थावार, व्यवसायवार प्रवेश की सीटों का विवरण तैयार किया जायेगा जिसके आधार पर आवेदक प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश का विकल्प प्रदर्शित कर सकेगा। प्राइवेट आईटीआई के लिए इच्छुक आवेदकों को भी 100 विकल्प भरने के अवसर उपलब्ध रहेंगे।
- 15.3 **रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग के शुल्क की राशि शासकीय एवं निजी आईटीआई में समान रहेगी।**
- 15.4 **संस्थावार आवेदको की सूची**—पोर्टल द्वारा आईटीआईवार ट्रेडवार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जायेगी।
- 15.5 **दस्तावेजों का परीक्षण** :—अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व निकट की शासकीय आईटीआई के प्राचार्य से दस्तावेजों का सत्यापन कराना आवश्यक होगा तथा प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर यथा वेरीफिकेशन होने की जानकारी प्रविष्टि की जायेगी।
- 15.6 प्राइवेट आईटीआई के प्राचार्य द्वारा प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की प्रविष्टि पोर्टल पर समय सीमा में करना अनिवार्य है।

